

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

प्रिया रंजन

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2019 की दीवानी समीक्षा सं.205

में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं .190

26 सितंबर, 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय)

विचार के लिए मुद्दा

क्या एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 के प्रभाव में आने से पूर्व सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कोलकाता से प्राप्त वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री को परियोजना उच्च विद्यालय में सहायक शिक्षक की नियुक्ति की स्वीकृति हेतु वैध माना जाएगा?

हेडनोट्स

खंडपीठ ने भागीरथी प्रसाद डे बनाम झारखंड राज्य , में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि 01.07.1995 (एन.सी.टी.ई. अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने से पूर्व) से पहले प्राप्त प्रशिक्षण डिग्रियाँ मान्य मानी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल एनसीटीई की मान्यता के अभाव के आधार पर उन अर्हताओं को अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्राप्त की गई हों। (अनुच्छेद - 6.1)

सर्वोच्च न्यायालय के इस बाध्यकारी निर्णय के आलोक में, माननीय उच्च न्यायालय ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया और राज्य प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता की सेवा को मान्यता दी जाए और सभी परिणामी लाभ भुगतान किया जाए।
(अनुच्छेद - 7.1)

न्याय दृष्टान्त

भागीरथी प्रसाद डे बनाम झारखंड राज्य, सिविल अपील सं. 3693/2020; अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 2000 (1) पी.एल.जे.आर. 287 (पूर्ण पीठ); बिहार राज्य बनाम परियोजना उच्च विद्यालय शिक्षक संघ, (2006) 2 एस.सी.सी. 454

अधिनियमों की सूची

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993; सरकारी आदेश सं. 142 दिनांक 04.02.1989; शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र; सिस्टर निवेदिता कॉलेज; एनसीटीई अधिनियम 1993; परियोजना उच्च विद्यालय; सरकारी सेवा स्वीकृति; नियुक्ति की मान्यता; अप्रशिक्षित शिक्षक; सिविल रिव्यू; लेटर्स पेटेंट अपील; शैक्षणिक योग्यता विवाद

प्रकरण से उत्पन्न

सिविल रिव्यू संख्या 205/201; सिविल रिट न्यायिक मामला संख्या 17064/2011

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से: श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता; श्री राहुल सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से: एसी टू एएजी-15

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 की दीवानी समीक्षा सं.205
में

2021 की लेटर्स पेटेंट अपील सं .190

=====

प्रियरंजन पिता-शत्रुधन प्रसाद सिन्हा उर्फ शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा निवासी-ग्राम और थाना-पंकदरक,
जिला-पटना।

... ..अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना।
4. जिला दंडाधिकारी , पटना।
5. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना।

... ..प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए	:	श्री सिद्धार्थ हर्ष, अधिवक्ता
		श्री राहुल सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थियों के लिए	:	एएजी-15 के एसी

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

दिनांक: 26-09-2024

वर्तमान अपील, पटना उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट अपील के खंड 10, परिशिष्ट-ई के अंतर्गत, सिविल समीक्षा संख्या 205/2019 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 4.03.2020 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया था। अपीलकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17064/2011 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.09.2018 के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया था।

2. श्री सिद्धार्थ हर्ष, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के लिए ए. ए. जी.-15 के विद्वान सहायक अधिवक्ता को सुना।

3. वर्तमान अपील दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1. वर्तमान अपीलकर्ता/मूल रिट याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17064/2011 प्रस्तुत किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा है कि उसे 27.04.1987 को चौधरी राम प्रसाद शर्मा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पंडारक, पटना में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान) के रिक्त पद पर, उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किया गया था। उनके पास बी.एससी. की डिग्री थी और उसके बाद उन्होंने 1993 में प्रतिष्ठित सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कलकत्ता से वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री हासिल की, जिसे नियोक्ता स्कूल द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी। यह भी बताया गया है कि उपरोक्त विद्यालय उन बालिका उच्च विद्यालयों में से एक था, जिनका चयन वर्ष 1984-85 में परियोजना उच्च विद्यालयों की स्थापना योजना के अंतर्गत किया गया था। यह भी बताया गया है कि सरकार ने ऐसे विद्यालयों और उनके योग्य कर्मचारियों के चयन हेतु 23.02.1985 को एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकारी सेवा में चयन के लिए शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नामों की सिफारिश

की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल था इसके बाद, बिहार सरकार के संबंधित विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को ऐसे स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए, जो सार्वजनिक समर्थन के तहत स्थापित किए गए थे और सरकारी सेवा में 1984-85 की परियोजना योजना के तहत चुने गए थे और उनके वेतन का भुगतान दिनांक 04.02.1989 को पत्र संख्या 142 के माध्यम से किया गया था।

3.2. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने इस न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन को प्राथमिकता दी और मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03.01.2006 के आदेश के माध्यम से राज्य सरकार को एक और तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। तदनुसार, सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसने अपने निर्णय के लिए कुछ मानदंड जारी किए। सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विस्तृत पात्रता मानदंड सुझाए गए थे। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उसने बाद की तीन सदस्यीय समिति द्वारा निर्धारित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया।

3.3. यह याचिकाकर्ता की शिकायत है कि तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 12.02.2007 प्रस्तुत की, जिसमें वह स्कूल पाया गया जिसमें याचिकाकर्ता काम कर रहा है। हालाँकि, याचिकाकर्ता के मामले को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया कि उनका बी. एड. डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता ने निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष कार्यवाही दायर करके उक्त निर्णय को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के दावे को उक्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.04.2010 के कार्यालय आदेश के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता अप्रशिक्षित होने और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री अपरिचित होने के कारण, उसके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, पटना के समक्ष अपील की। उक्त

प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता द्वारा दिनांकित 04.05.2011 आदेश के माध्यम से की गई अपील को भी खारिज कर दिया।

3.4. इसलिए, याचिकाकर्ता ने उपर्युक्त रिट आवेदन दायर किया और संबंधित अधिकारियों द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी।

3.5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 14.09.2018 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बाद, उसी विद्वान एकल न्यायाधीश ने समान स्थिति वाले व्यक्ति के 2014 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7131 के मामले में दिनांक 19.11.2018 को एक आदेश पारित किया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने 2019 की सिविल समीक्षा संख्या 205/2019 दायर की। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 04.03.2020 के आक्षेपित आदेश द्वारा समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया और इसलिए, याचिकाकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की है।

4. अपीलार्थी/मूल याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मुख्य रूप से प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता अनुरोध के अनुसार लाभ प्राप्त करने का हकदार है, क्योंकि वह तीन सदस्यीय समिति द्वारा बनाए गए सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा कर रहा था, जिसके बावजूद उनके दावे को गलत आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता अप्रशिक्षित है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री मान्यता प्राप्त नहीं है। इस स्तर पर, अभिलेख और विशेष रूप से संकलन के पृष्ठ 74 से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने सिस्टर निवेदिता कॉलेज से वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त की है, जिसे मान्यता दी गई है और इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा लिया गया रुख कानून की नजर में असमर्थनीय है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा अशोक कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले और अन्य समरूप मामलों में दिए गए

निर्णय पर भरोसा किया है, जो 2000(1) पी. एल.जे.आर 287 [एफ.बी] में रिपोर्ट किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने विशेष रूप से उक्त निर्णय के पैराग्राफ 32 का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता का मामला इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के दायरे में आता है।

4.1. अपीलकर्ता/मूल याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि वर्तमान मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 17.11.2020 को भागीरथी प्रसाद डे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 3693/2020) के मामले में दिए गए निर्णय से पूरी तरह आच्छादित है। इसलिए, अपीलकर्ता/मूल याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाए और इस प्रकार प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को वे सभी लाभ देने का निर्देश दिया जाए जिनकी रिट आवेदन में प्रार्थना की गई है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रत्यर्थी राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे, पूरक जवाबी हलफनामों का उल्लेख किया है। इसके बाद उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कलकत्ता से प्राप्त प्रशिक्षण डिग्री एक वैध डिग्री नहीं है और उक्त कॉलेज को बिहार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उक्त संस्थान को अखिल भारतीय शिक्षा सोसायटी से संबद्ध दिखाया गया है, जो एक पंजीकृत सोसायटी है। याचिकाकर्ता के पक्ष में उक्त संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया और सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि उक्त संस्थान को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. टी. ई. अधिनियम के लागू होने से पहले या उक्त

अधिनियम के लागू होने के बाद, सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कलकत्ता की प्रशिक्षण डिग्री को किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। इस स्तर पर, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 1 का सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाओं को मंजूरी नहीं दी जाएगी और महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के शिक्षकों को इस शर्त के साथ प्रशिक्षण योग्यता में छूट दी गई है कि वे तीन साल के भीतर प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, सेवाओं की मंजूरी के लिए तय किए गए मानदंडों के अनुसार, याचिकाकर्ता की सेवा को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के दावे को संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। इसलिए, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

6. हमने विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रचार की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अध्ययन किया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को प्रारंभ में 27.04.1987 को चौधरी राम प्रसाद शर्मा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पंडारक, पटना में सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान) के रिक्त पद पर उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास बी. एससी. की डिग्री थी और उसके बाद उन्होंने 1993 में सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कलकत्ता से वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त की है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि चौधरी राम प्रसाद शर्मा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, पंडारक, पटना को वर्ष 1984-85 में प्रोजेक्ट हाई स्कूलों की स्थापना योजना के तहत चुना गया था और सरकार द्वारा नियुक्त पहली तीन सदस्यीय समिति ने सरकारी सेवा में चयन के लिए शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की थी जिसमें याचिकाकर्ता का नाम शामिल था। यह आगे स्पष्ट होता है कि इसके बाद प्रोजेक्ट हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने इस न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन को प्राथमिकता दी और उक्त मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार राज्य

एवं अन्य बनाम प्रोजेक्ट उच्च विद्या, शिक्षक संघ एवं अन्य, (2006) 2 एससीसी 454 में प्रतिवेदित, के मामले में पारित दिनांक 03.01.2006 के आदेश द्वारा राज्य सरकार को एक और तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। उक्त समिति ने अपने निर्णय के लिए कुछ मानदंड जारी किए और सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदंड निर्धारित किए। समिति ने याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों द्वारा दावे को अस्वीकार करने के लिए मुख्य रूप से दो आधार दिए गए थे, अर्थात्, याचिकाकर्ता अप्रशिक्षित था और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिक्षक प्रशिक्षण डिग्री को मान्यता नहीं दी गई थी। अब, यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1993 में सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कलकत्ता से वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त की थी।

6.1. इस स्तर पर, हम **भागीरथी प्रसाद डे (उपरोक्त)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.11.2020 का उल्लेख करना चाहेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 3 से 9 में निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“3. 23.05.1984 को, अपीलार्थी को स्कूल की प्रबंधन समिति द्वारा प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, खरसावां में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1993 में, अपीलार्थी को सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कोलकाता ('कॉलेज', संक्षेप में) द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि अपीलार्थी ने वरिष्ठ शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया था और 22.08.1993 पर आयोजित परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त की थी।

4. इसी तरह के प्रमाण पत्र उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा विचार का विषय थे और उन मामलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1) वे मामले जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (संक्षेप में "एन. सी. टी. ई. अधिनियम") के लागू होने से पहले कॉलेज द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए गए थे; और

11) वे मामले जहां एन. सी. टी. ई. अधिनियम लागू होने के बाद प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

5. जहाँ तक प्रथम श्रेणी के मामलों का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णय इस प्रकार थे:

ए) 2005 की रिट याचिका (एस) संख्या 5412 पर दिनांक 18.05.2006 के आदेश के तहत विचार करते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की:

"1. ... याचिकाकर्ता द्वारा यह घोषित करने के लिए आगे प्रार्थना की गई है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (जिसे आगे 'एन.सी.टी.ई अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधान, जो 1 जुलाई, 1995 से प्रभावी हुए हैं, भावी हैं और डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के उपार्जित अधिकार पर कोई प्रभाव या निरसन नहीं होगा।

... ..

9. न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एन. सी. टी. ई. अधिनियम 1993, 1 जुलाई 1995 से लागू हुआ और उसके छह महीने बाद यानी 1 जनवरी, 1996 के बाद कोई भी व्यक्ति, जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करता है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा पूर्व मान्यता के बिना संस्थान को नहीं चला सकता है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1992 में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, इसलिए डॉ. बी.सी. रॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कलकत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड, रांची, उपरोक्त तथ्यों को समझने में विफल रहे और केवल दिलीप कुमार गुप्ता एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए जिला

शिक्षा अधीक्षक, सिंहभूम पश्चिम, चाईबासा द्वारा दी गई अनंतिम स्वीकृति को रद्द कर दिया।”

उपरोक्त निर्णय की पुष्टि 2006 के एल. पी. ए. सं.400 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांकित 24.11.2006 के आदेश द्वारा की गई थी, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

“इसके अलावा, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती आई. सेन चौधरी ने सही ढंग से बताया है, यह ध्यान में आता है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1 जुलाई, 1995 को लागू किया गया था। यह सच है, जैसा कि अपीलकर्ताओं की अधिवक्ता श्रीमती सेन चौधरी ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि खंडपीठ ने शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्था की प्रमाणिकता के संबंध में संदेह व्यक्त करते हुए एक टिप्पणी की थी। लेकिन, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सही ढंग से बताया है कि उस हिस्से को सर्वोच्च न्यायालय ने 3.3.2006 के आदेश के तहत हटा दिया है, जिसमें कहा गया है कि खंडपीठ उन संदेहों पर विचार नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि संबंधित प्रश्न पर अन्य पक्षों की बात सुनी गई थी। इसलिए, उन टिप्पणियों का उपयोग प्राधिकारियों द्वारा आदेश पारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका में चुनौती दी गई है। इसलिए, हमारे विचार से, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्देश, जिसमें प्राधिकारी को

याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का वेतन देने का निर्देश दिया गया है, पूरी तरह से वैध और न्यायोचित है।”

इस मामले को इस अदालत के समक्ष आगे बढ़ाया गया। हालाँकि, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सी.सं. 4396/2007 को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2007 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

ख) उच्च न्यायालय के अन्य एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों ने समान दृष्टिकोण अपनाया और उदाहरण के रूप में, हम दो ऐसे आदेशों का हवाला दे सकते हैं जहाँ निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

i) 2010 की रिट याचिका सं. 393 में दिनांक 13.09.2010 आदेश:

“7. समिति ने अपने गठन के समय याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता ने सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कोलकाता से प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त की थी जो एक मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं था, लेकिन समिति इस बात पर विचार करने में विफल रही कि एन.सी.टी.ई. अधिनियम 1.7.1995 से लागू हुआ था, जबकि याचिकाकर्ता ने उक्त संस्थान से वर्ष 1989 में बी.एड. (प्रशिक्षण) डिग्री प्राप्त की थी और इस स्थिति में, यह न्यायालय कल्पना लोधिया (उपरोक्त) के मामले में यह मानते हुए प्रसन्न है कि सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कोलकाता से 1995 से पहले प्राप्त प्रशिक्षण डिग्री को

वैध प्रशिक्षण डिग्री के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि एन.सी.टी.ई. अधिनियम, जो वर्ष 1993 में प्रख्यापित किया गया था, 1.7.1985 से लागू हुआ था। इस प्रकार, वह आदेश, जिसके तहत तीन सदस्यीय समिति याचिकाकर्ता को नियमितीकरण के लिए योग्य नहीं पाया गया, अतः इसे रद्द किया जाता है।”

ii) 2009 की रिट याचिका (एस) सं .5568 में दिनांक 15.09.2011 का आदेश:

“6. तीन सदस्यीय समिति द्वारा दिए गए कारण कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, मुख्यतः इस कारण से गलत हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामे के अनुलग्नक-15 को देखते हुए, यह प्रमाणपत्र याचिकाकर्ता द्वारा स्कूल प्राधिकारियों को पहले ही दे दिया गया था और उन्हें इसे समिति को प्रस्तुत करना है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर पूरक हलफनामा 7 जुलाई, 2011 का है। इसके मद्देनजर या अन्यथा भी, इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न अनुलग्नकों और बाद में इस मामले में इस न्यायालय के समक्ष दिए गए हलफनामे को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने अपनी अध्यापक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षा 16 मार्च, 1994 को उत्तीर्ण कर ली है और चूँकि यह प्रमाणपत्र परीक्षा 1993 के अधिनियम के लागू होने से पहले उत्तीर्ण हो चुकी है, इसलिए उसका मामला

उपरोक्त निर्णीत मामलों की अन्य रिट याचिकाओं के समान है।

7. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और न्यायिक घोषणाओं के संचयी प्रभाव के रूप में, मैं एतद्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक-बी में दी गई तीन सदस्यीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को रद्द कर देता हूं और इस हद तक अलग कर देता हूं कि यह वर्तमान याचिकाकर्ता को प्रभावित करता है और वर्तमान याचिकाकर्ता के लिए उक्त रिपोर्ट में दिए गए कारण ऊपर बताए गए कारणों के लिए कानून के प्रतिकूल हैं और मैं, एतद्वारा उत्तरदाताओं को निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को मान्यता दी जा सकती है और उस प्रभाव के लिए आवश्यक आदेश पारित किया जा सकता है और याचिकाकर्ता वेतन सहित सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा। ...

6. अपीलार्थी द्वारा दायर 2013 की रिट याचिका (एस) सं.2005 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 30.07.2013 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई। याचिका दायर करने की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि निम्नानुसार बताई गई थी:

“रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों को प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, खरसावां में सहायक शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता की सेवाओं की मंजूरी/मान्यता के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है, जैसा कि अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के मामलों में किया गया है। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थियों को अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों की तरह

1.1.1989 से याचिकाकर्ता को वेतन और अन्य परिणामी लाभों का भुगतान करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को उक्त विद्यालय में प्रबंधन समिति द्वारा 6.1.1984 को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने बाद में 1993 में कोलकाता के सिस्टर निवेदिता कॉलेज से शिक्षक प्रशिक्षण पूरा किया।

वर्ष 1984-85 में, सरकार ने 300 से अधिक प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूलों का कार्यभार सँभालने का निर्णय लिया था। याचिकाकर्ता के स्कूल को भी 1985 में ले लिया गया था।

उन विद्यालयों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने/मंजूरी देने के उद्देश्य से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तीन सदस्यीय समिति ने अनुमोदन के उद्देश्य से स्कूल के शिक्षकों की सेवाओं की जांच की, लेकिन याचिकाकर्ता की सेवा को मंजूरी नहीं दी गई, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कॉलेज से अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 ('एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993', संक्षेप में) के प्रावधानों के तहत मान्यता नहीं दी गई थी।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 1993 में अपना शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किया, जबकि एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 जुलाई, 1995 से लागू हुआ । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि जब याचिकाकर्ता ने सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कोलकाता से अध्यापन प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तब एन.सी.टी.ई अधिनियम अस्तित्व में नहीं था और उनके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि नहीं थी। उन्होंने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ता को प्रबंध समिति द्वारा विधिवत नियुक्त किया गया था और उनके पास हाई स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए सभी पात्रताएँ और योग्यताएँ हैं।

इसलिए, तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश को अस्वीकार करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, जिनमें से कुछ का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ याचिका को अनुमति दी:-

“उक्त प्रस्तुतियों और तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका के साथ-साथ 2013 के आई.ए. संख्या 4107 का निपटारा ओम प्रकाश गोप 2 मामले में पारित दिनांक 15.9.2011 के आदेश के आलोक में किया जाता है, जिसमें सदस्यीय कमेटी द्वारा याचिकाकर्ता की सिफारिश को अस्वीकार करने को रद्द कर दिया गया था (अनुलग्नक-3) और प्रतिवादी संख्या 2, जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा जाता है, को निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ता की सेवाओं को प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, खरसावां में सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देते हुए उचित आदेश जारी करे और इस आदेश की प्रति प्राप्ति /प्रस्तुत होने की तिथि से छह सप्ताह के भीतर उसके वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान करे।

यदि स्वीकृत राशि/बकाया राशि का भुगतान उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता देय राशि मिलने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा।”

7. एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और कुछ अन्य आदेशों को राज्य ने खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट अपील दायर करके चुनौती दी थी। अपीलकर्ता से संबंधित 2014 की एल.पी.ए. संख्या 265 में प्रासंगिक प्रस्तुतियाँ खंडपीठ द्वारा इस प्रकार नोट की गई:-

“जहाँ तक 2014 के एल.पी.ए. संख्या 265 के प्रतिवादी (डब्ल्यू.पी.एस. संख्या 2005/2013 में मूल याचिकाकर्ता) का संबंध है, प्रबंधन सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया था और उस समय तक, तीन सदस्यों वाली आलम समिति का

गठन किया गया था ताकि उन शिक्षकों को हटाया जा सके, जिन्हें बिना किसी योग्यता या योग्यता के नियुक्त किया गया था। यह छंटनी प्रक्रिया आलम समिति द्वारा की गई थी और उक्त समिति द्वारा एक रिपोर्ट भी दी गई थी। इस आलम समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 2014 के एल.पी.ए. संख्या 265 के प्रतिवादी, जिन्हें स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त किया गया था, के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण नहीं था, और इसलिए, उनकी सेवाओं को मान्यता नहीं दी गई। मामले के इस पहलू को विद्वान एकल न्यायाधीश ने उचित रूप से नहीं समझा है जबकि 30.07.2013 को निर्णय और आदेश के तहत 2013 की रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 2005 को स्वीकार किया है।”

खंडपीठ ने अपने निर्णय द्वारा, जिस पर वर्तमान में अपील की जा रही है, एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए उस दृष्टिकोण को खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी गई है।

8. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह मामला 'प्रथम श्रेणी' के मामलों में आता है। जहाँ तक उस श्रेणी का संबंध है, उच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा यह मामला समाप्त हो चुका है, जिसकी पुष्टि उससे उत्पन्न विशेष अनुमति याचिका को खारिज करके की गई थी। इन परिस्थितियों में, खंडपीठ द्वारा इस मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं था।

9. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, अपीलार्थी के मामले के संबंध में खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को दरकिनार करते हैं और निर्देश देते हैं:

क) कि महाविद्यालय द्वारा जारी योग्यता और प्रमाणपत्र को अपीलार्थी के लिए अच्छी और वैध योग्यता माना जाएगा;

ख) अपीलकर्ता सहायक शिक्षक के रूप में की गई सेवा से प्राप्त होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा और वेतन के बकाया,

यदि कोई हो,सहित सभी परिणामी लाभ आज से आठ सप्ताह के भीतर भुगतान किए जाएंगे; और

ग) यदि उपरोक्त अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अपीलार्थी 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।

6.2. इस प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णय से यह कहा जा सकता है कि उक्त मामले में भी संबंधित अपीलार्थी को स्कूल की संबंधित प्रबंध समिति द्वारा वर्ष 1984 में प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त अपीलार्थी को 1993 में सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कलकत्ता द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि उक्त अपीलार्थी ने 22.08.1993 को आयोजित परीक्षा में वरिष्ठ अध्यापक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संबंधित उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संबंध में पैराग्राफ 5 (बी) में टिप्पणी की है, जिसमें तीन सदस्यीय समिति ने भी संबंधित याचिकाकर्ता के दावे को जिसने सिस्टर निवेदिता कॉलेज, कोलकाता से शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री प्राप्त किया था, इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह एक मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं था और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जिन मामलों में एन. सी. टी. ई. अधिनियम, 1993 के तहत 01.07.1995 से पहले कॉलेज द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उन्हें अच्छी और वैध योग्यता माना जाएगा। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित अपीलार्थी/याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के रूप में प्रदान की गई सेवा से उसे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा और वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान मामले में की गई उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान अपीलकर्ता के मामले की जांच की जाती है,

तो हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलकर्ता/मूल याचिकाकर्ता का मामला उपरोक्त निर्णय के दायरे में आता है।

7.1. तदनुसार, वर्तमान अपील को अनुमति दी जाती है। 2019 की सिविल समीक्षा संख्या 205 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 04.03.2020 का विवादित आदेश और 2011 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 17064 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 14.09.2018 का आदेश इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और निरस्त कर दिया जाता है।

7.2. तदनुसार, इस लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति है।

7.3. अपीलार्थी/मूल याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक के रूप में प्रदान की गई सेवा से उसे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का हकदार होगा और उत्तरदाताओं को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलार्थी/मूल याचिकाकर्ता को वेतन के बकाया सहित सभी परिणामी लाभों का भुगतान करें।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति.)

(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)

पवन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।